बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक– टी–1 /स्था0 (6)अनु0–206 /2017–

पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग।

विषयः– **"नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना"**, "नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (LWE) **"कौशल विकास मिशन"** स्कीम के अंतर्गत अंग्रेजी अनुदेशक का पूर्व से सृजित 109 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 10 अतिरिक्त नये पद सहित Employability Skills अनुदेशक के राज्य स्कीम के अंतर्गत संचालित औ0 प्र0 संस्थानों में कुल 119(एक सौ उन्नीस) नियमित पदों का सृजन के संबंध में।

राज्य स्कीम के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित) तथा LWE स्कीम के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की बहुमुखी प्रतीभा के विकास हेतु तथा भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में Employability Skills विषय में ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि प्रतिस्पर्द्धा के इस आधुनिक युग में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उन्हें रोजगार का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके। भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या MSDE (DGT)-19/04/2016-CD दिनांक–17.05.2016 द्वारा Employability Skills अनुदेशक के पद सृजन का दिशा निर्देश दिया गया है। Employability Skill अनुदेशक के कुल 119 (एक सौ उन्निस) नियमित पद, { **नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना"**, **"नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना"** एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (LWE) **"कौशल विकास मिशन"** स्कीम के अंतर्गत अंग्रेजी अनुदेशक का पूर्व से सृजित 109 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए तथा 10 अतिरिक्त नये पद सहित Employability Skills अनुदेशक के राज्य स्कीम के अंतर्गत संचालित औ0 प्र0 संस्थानों में कुल 119(एक सौ उन्नीस) नियमित पदों } राज्य स्कीम / केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सृजन किया जा रहा है।

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष), बिहार, पटना के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) तथा LWE स्कीम के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों को Employability Skills विषय का प्रशिक्षण दिया जाना है जिससे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित) में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सके तथा आत्मनिर्भर/स्वावलंवी/स्वरोजगार बनकर प्रतिस्पर्द्धा के इस आधुनिक युग में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त कर सकें। अतएव अंग्रेजी अनुदेशक का पूर्व से सृजित 109 नियमित पद प्रत्यार्पित करते हुए 10 अतिरिक्त नये पद, के साथ कुल 119 पद Employability Skills अनुदेशक के नियमित पदों का राज्य स्कीम / केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत संचालित औ0 प्र0 संस्थानों में सृजन किया जा रहा है। (अनुसूचि 01–07संलग्न)

2. उपरोक्त के आलोक में पद सृजन एवं नियुक्ति तथा योग्यता निम्न प्रकार होगीः–

Employability Skills अनुदेशक के कुल पदों की संख्या 119 (एक सौ उन्निस) होगी। ये पद राज्य स्कीम /केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अस्थायी पद होगें। जो निम्न प्रकार हैः–

पूर्व में सृजित अंग्रेजी अनुदेशक के 109 (एक सौ नौ) नियमित पदों को प्रत्यार्पित करते हुए तथा 10(दस) नये नियमित पदों का सृजन अर्थात कुल 119 (एक सौ उन्निस) पद Employability Skills अनुदेशक के रूप में किया जा रहा है।

Employability Skills अनुदेशक के नियमित पद सृजन के उपरांत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 में आवश्यक संशोधन किया जायेगा

(iii) **पदों पर नियुक्तिः–** इन अस्थाई पदों पर नियमित नियुक्ति किया जाएगा।

(ii) **वेतनमानः–** इन पदों पर नियुक्त अनुदेशकों को वेतनमान LEVEL-6 (35400-112400) देय होगा।

(iii) **उम्र–सीमाः–** नियमित पद पर नियुक्ति की उम्र–सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम निम्न प्रकार होगीः–

(क) सामान्य कोटि (पुरूष)	– –	37 वर्ष
(ख) सामान्य कोटि (महिला)	– –	40 वर्ष
(ग) पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	–	40 वर्ष
(घ) अनु0 जाति/जनजाति	– –	42 वर्ष

(iv) <u>पदो के लिए न्यून्तम शैक्षणिक योग्यताः</u>– MBA OR BBA With two years experience OR Graduate in Sociology/Social Welfare/ Economics with two years experience OR Graduate/ Diploma with two years experience and trained in Employability Skills from DGET Institutes

AND

Must have studied English/Communications Skills and Basic Computer at 12th /Diploma level and above.

(v) **आरक्षणः**– बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश /आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
नियोजन की प्रक्रियाः– नियमित पद पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा किया जाएगा।
अवकाशः– नियमित पद पर नियुक्त Employability Skills अनुदेशकों को अवकाश बिहार सेवा संहिता नियमों के अनुसार नियमानुकुल देय होगा।

3– इस स्कीम पर व्यय मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या 26, 0118–नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड 26–2230030030118 एवं मुख्य शीर्ष 2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 101 औ0 प्र0 संस्थान, मांग संख्या 26, 0101–नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड 26–2230031010101 मुख्य शीर्ष 2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 03–प्रशिक्षण, 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या 26, 0333–कौशल विकास मिशन विपत्र कोड 26–2230030030333 के अन्तर्गत संबंधित वित्तिय वर्ष में उपबंधित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4– प्रस्ताव में लोक वित्त समिति एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम,संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक– टी–1 /स्था0 (6)अनु0–206 /2017– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों)/वित्त विभाग (बजट– शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव /माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव, /प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
विशेष सचिव,
श्रम, संसाधन विभाग।

E-Mail

ज्ञापांक– टी–1 /स्था0 (6)अनु0–206 /2017– 2893 पटना, दिनांक– 19-12-18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना/सभी उपनिदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रिय निरीक्षी पदाधिकारी/परीक्षा नियंत्रक, नियोजन भवन बेली रोड पटना/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग/सभी संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी स्थापना शाखा, नियुक्ति शाखाएवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

18/12/18

विशेष सचिव,
श्रम, संसाधन विभाग।
18/12/18

(6) I.T. Manger. Labour Dept.